# कार्यालय नगर पालिका मण्डल श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

कमांकःनपाश्रीमा/2022–23/6151                                  दिनांकः 11/01/2023

## एम्पावर्ड समिति बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 11.01.2023 को दोपहर 3.00 बजे नगर पालिका श्रीमाधोपुर में आहूत एम्पावर्ड समिति के समक्ष निम्नानुसार 6(छ) प्रकरण अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ रखा गया। जिसमें निम्नानुसार एम्पावर्ड समिति के सदस्यो की उपस्थिति रही :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका श्रीमाधोपुर | (हरिनारायण) | (अध्यक्ष) | अनुपस्थित। |
| 2. श्रीमान अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर | (रजत जैन) | (सदस्य सचिव) | उपस्थित। |
| 3. श्रीमान उप/जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर | (मो. अजहर जाटू) | (सदस्य) | उपस्थित। |
| 4. श्रीमान कनिष्ठ अभियन्ता नगर पालिका श्रीमाधोपुर | (लोकेश निठारवाल) | (सदस्य) | उपस्थित। |
| 5. श्रीमान विधि सलाहकार नगर पालिका श्रीमाधोपुर | (रक्षपाल स्वामी) | (विशेष आमंत्रित सदस्य) | उपस्थित। |
| 6. श्रीमान लेखा प्रभारी नगर पालिका श्रीमाधोपुर | (निश्चल बनर्जी) | (विशेष आमंत्रित सदस्य) | उपस्थित। |

श्रीमान अध्यक्ष महोदय के दिनांक 11.01.2023 को दोपहर 3.15 बजे तक अनुपस्थित रहने के कारण नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक प.17 (1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 21.04.2022 के बिन्दू संख्या 04 एवं नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक प.8 (ग) ( ) नियम / डीएलबी / 2021/68664 दिनांक 27.09.2021 के नोट बिन्दू संख्या 02 एवं 03 में दिये आदेशो की पालना में उपस्थिति अनुसार कोरम पूर्ण होने पर उक्त समिति की अध्यक्षता श्रीमान अधिशाषी अधिकारी के द्वारा करते हुए श्रीमान अधिशाषी अधिकारी की आज्ञा से समिति के समक्ष निम्न प्रकरण / एजेण्डा विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ रखे गये :–

1. वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए विभिन्न कार्यो के वार्षिक अनुबन्ध /ठेके किये जाने पर विचार / निर्णय :– उक्त समिति के सदस्य सचिव श्रीमान अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर में वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए किये गये विभिन्न कार्यो के वार्षिक अनुबन्ध / ठेको की अवधि दिनांक 31.03.2023 को समाप्त होने वाली है। इस कारण नगर पालिका श्रीमाधोपुर के सूचारू कार्य संचालन एवं सामान्य प्रशासन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आवश्यक कार्यो का अनुबन्ध / ठेका किया जाना अति आवश्यक है। जिनका अनुमानित व्यय विवरण निम्नानुसार है:–

11/01/2023

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | अनुमानित व्यय (लाखो में) |
|---|---|---|
| 1 | विभिन्न विद्युत सामान क्रय वार्षिक अनुबन्ध | 9.95 |
| 2 | टेन्ट एवं माईक सेट वार्षिक अनुबन्ध | 9.90 |
| 3 | स्ट्रीट लाईट रखरखाव व ऑन ऑफ का सम्पूर्ण कार्य का वार्षिक अनुबन्ध | 6.00 |
| 4 | सार्वजनिक शौचालयो, सामुदायिक शौचालयो व आवश्यकतानुसार पानी टेंकर सप्लाई कार्य का वार्षिक अनुबन्ध | 3.00 |
| 5 | फिनाईल एवं कीटनाशक क्रय का वार्षिक अनुबन्ध | 4.90 |
| 6 | सफाई उपकरण क्रय का वार्षिक अनुबन्ध | 4.90 |
| 7 | स्टेशनरी छपाई कार्य का वार्षिक अनुबन्ध | 2.00 |
| 8 | कार्यालय उपयोग हेतु फोटोकापी कार्य का वार्षिक अनुबन्ध | 1.00 |
| 9 | बैनर एव फलेक्स मय लोहे की फ्रेम छपाई कार्य का वार्षिक अनुबन्ध | 4.90 |
| 10 | कार्यालय हेतु पेयजल आपूर्ति वार्षिक अनुबन्ध | 1.00 |
| 11 | सीकर एक्स सर्विसमेन वेलफेयर सोसायटी के माध्यम से कम्प्यूटर ऑपरेटर, ऑटो टिपर चालक, टेक्ट्रर चालक, वाहन चालक, फायर वाहन चालको का वार्षिक अनुबन्ध | 80.00 |
| 12 | रोड लाईट विस्तार में नई एलईडी लाईटे एवं फैजवायर लगाने हेतु लेबर कार्य का वार्षिक अनुवंध | 2.00 |
| | कुल योग | 123.65 लाख |

अतः उक्त समिति के सदस्य सचिव श्रीमान अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर के पत्रांक प.8 (ग) ( ) नियम/डीएलबी/2021/68664 दिनांक 27.09.2021 के आदेश के नोट के बिन्दू सख्या 03 के अनुसार एम्पावर्ड कमेटी में न्यूनतम 3 सदस्यो का कोरम होगा तथा उपस्थित सदस्यो के बहुमत से निर्णय लिये जायेगे। उक्त आदेशो की पालना में एवं नगर पालिका श्रीमाधोपुर के सूचारू कार्य संचालन एवं सामान्य प्रशासन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा बाद विचार विमर्श श्रीमाधोपुर पालिका क्षेत्र में उपरोक्त तालिका अनुसार वार्षिक अनुबन्ध/ ठेके करवाये जाने हेतु 123.65 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिये जाने निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

2. **नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा स्वप्रेरण से 90 (क) सुओमोटो की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त पूर्व से ही राजस्व रिकार्ड में नगरपालिका श्रीमाधोपुर के नाम दर्ज खसरा संख्या 989/1 कुल खसरे 01 कुल रकबा 0.8926 हैक्टर राजस्व ग्राम बल्लूवाली तहसील खण्डेला का कृषि भूमि से गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ "नन्द विहार फेज II" योजना के ले–आउट प्लान के अनुमोदन पर विचार/निर्णय :–** उक्त समिति के सदस्य सचिव श्रीमान अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा स्वप्रेरण से 90 (क) सुओमोटो की कार्यवाही करते हुए खसरा संख्या 989/1 कुल खसरे 01 कुल रकवा 0.8926 हैक्टर राजस्व ग्राम बल्लूवाली तहसील खण्डेला भूमि पूर्व से ही राजस्व रिकार्ड मे नगरपालिका श्रीमाधोपुर के नाम भूमि दर्ज है।

11/01/2024

मौके पर वर्तमान मे उक्त खसरों में सघन आबादी बस चुकी है एवं सम्बन्धित हल्का पटवारी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम बल्लूवाली का भूमि खसरा नं. 989/1 किस्म खाम चाही काश्तकार नगर पालिका श्रीमाधोपुर के नाम दर्ज है। उक्त भूमि राजस्व ग्राम बल्लूवाली के आबादी क्षेत्र भूमि खसरा नं. 1003 से 470 मीटर की दूरी पर स्थित है। जिस कारण नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.10 (35) नविवि/3/2010 पार्ट दिनांक 24.09.2019 के अनुसार कार्यवाही करते हुए नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 4547 दिनांक 11.11.2022 के द्वारा श्रीमान उप/ जिला नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग, सीकर को उक्त भूमि के संबंध में ले-आउट प्लान अनुमोदन एवं तकनिकी राय हेतु पत्र लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर के पत्रांक टीपीएसके.1600 / श्रीमाधोपुर / 2022/1436 दिनांक 18.11.2022 द्वारा पत्र में वर्णित शर्तो के अध्यधीन कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ **"नन्द विहार फेज II"** योजना के अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले-आउट प्लान समिति के समक्ष अनुमोदन किये जाने के संबध में तकनिकी राय प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि उक्त ले-आउट के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/2004 (गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार) के संबंध में दिये गये निर्देश दिनांक 12.01.2017, 08.08.2017, 14.10.2021, 15.12.2018 एवं राज्य सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में समय-समय पर जारी अन्य आदेशो की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

अतः श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर द्वारा दी गई तकनिकी राय एवं नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 20.09.2021 के बिन्दू संख्या 2 (i) में दिये गये आदेशो की पालना में स्थानीय एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा बाद विचार विमर्श खसरा नं. 989/01 कुल खसरे 01 कुल रकबा 0.8926 हैक्टर राजस्व ग्राम बल्लूवाली तहसील खण्डेला का कृषि भूमि के गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ **"नन्द विहार फेज II"** योजना का ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

3. **श्री मोहन लाल जाट पुत्र श्री ईश्वर राम जाट राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर में खसरा नं. 2915/2027 कुल खसरे 01 रकबा 0.16 हैक्टर अर्थात 1600 वर्गमीटर कृषि भूमि का गैर कृषिक मिश्रित (व्यावसायिक+आवासीय) प्रयोजनार्थ एकल पट्टा दिये जाने पर विचार/ निर्णय** :- उक्त समिति के सदस्य सचिव श्रीमान अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि श्री मोहन लाल जाट पुत्र श्री ईश्वर राम जाट राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर में खसरा नं. 2915/2027 कुल खसरे 01 रकबा 0.16 हैक्टर अर्थात 1600 वर्गमीटर कृषि भूमि का गैर कृषिक मिश्रित (व्यावसायिक+आवासीय) प्रयोजनार्थ एकल पट्टा दिये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में दिनांक 18.08.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर नियमानुसार 07 दिवस की आपत्ति आमंत्रण लोक सूचना राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित समयावधि में/ पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 3489 दिनांक 30.08.2022 के द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीमाधोपुर को आवेदित भूमि के संबंध में प्रारूप (6) में सहमति अथवा आक्षेप हेतु लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीमाधोपुर के पत्रांक राजस्व/2022/674 दिनांक 16.09.2022 के द्वारा कृषि भूमि के गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने हेतु प्रारूप (6) में सहमति रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि किसी निर्बधित प्रवर्ग में नही है एवं किसी न्यायालय का कोई स्थगन

आदेश आवेदित भूमि पर नही है। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 4528–31 दिनांक 10.11.2022 के द्वारा प्रारूप (11) में उपरोक्त भूमि के कृषि भूमि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु 90(क) के आदेश जारी किये गये। कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट दिनांक 10.11.2022 के अनुसार आवेदित भूमि मास्टर प्लान में आगे व्यावसायिक एवं पीछे आवासीय उपयोग हेतु आरक्षित है। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 4532 दिनांक 10.11.2022 के द्वारा श्रीमान उप/जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर को उपरोक्त आवेदित भूमि के कृषि भूमि से गैर कृषिक आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन एवं तकनिकी राय हेतु लिखा गया। जिसके संवंध में श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर के पत्रांक टीपीएसके/1600/श्रीमाधोपुर/2022/1442 दिनांक 23.11.2022 के द्वारा पत्र में वर्णित शर्तो के अध्यधीन कृषि भूमि से गैर कृषिक मिश्रित (व्यावसायिक+आवासीय) प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन हेतु स्थानीय स्तरीय ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष अनुमोदन किये जाने के संवंध में तकनिकी राय प्रदान की गई। जिसकी पालना में आवेदक द्वारा उपरोक्त पत्र में वर्णित समर्पित की जाने वाली भूमि के संवंध में निःशुल्क समर्पणनामा एवं उपरोक्त पत्र में वर्णित शर्तो की पालना हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त वर्णित पत्र के विन्दू संख्या 06 के अनुसार राजस्थान भवन विनियम 2020 के विन्दू संख्या 21 (6) के अनुसार मास्टर प्लान में जिन सडको के सहारे भू–उपयोग व्यावसायिक/ मिश्रित दर्शित है। उन भूखण्डो पर व्यावसायिक/मिश्रित उपयोग सडक की चौडाई का अधिकतम डेढ गुणा गहराई अथवा एक सम्पति तक जो भी कम हो अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा उक्त समिति को अवगत करवाया गया कि उक्त ले–आउट के सम्वन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/2004 (गुलाव कोठारी बनाम राज्य सरकार) के संवंध में दिये गये निर्देश दिनांक 12.01.2017, 08.08.2017, 14.10.2021, 15.12.2018 एवं राज्य सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में समय–समय पर जारी अन्य आदेशो की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

अतः श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर राजस्थान द्वारा दी गई तकनिकी राय एवं नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17 (1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 20.09.2021 के विन्दू संख्या 2 (i) में दिये गये आदेशो की पालना में स्थानीय एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा वाद विचार विमर्श आवेदक श्री मोहन लाल जाट पुत्र श्री ईश्वर राम जाट राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर में खसरा नं. 2915/2027 कुल खसरे 01 रकबा 0.16 हैक्टर अर्थात 1600 वर्गमीटर कृषि भूमि का गैर कृषिक मिश्रित (व्यावसायिक+आवासीय) प्रयोजनार्थ एकल पट्टा नियमानुसार शुल्क लिया जाकर दिये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

5. **श्रीमती सीता देवी पत्नी रामजीलाल मीणा निवासी मीणो का मोहल्ला वार्ड नं. 10 श्रीमाधोपुर एवं श्री बाबूलाल मीणा पुत्र श्री सौभाग चन्द मीणा निवासी 98, मीणो का मोहल्ला वार्ड नं. 10 श्रीमाधोपुर खसरा संख्या 1461/2 0.6800 हैक्टर मे से 0.3295 हैक्टर एवं 1468 रकबा 1.7000 हैक्टर मे से 1.0125 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.3420 हैक्टर अर्थात 13420.00 वर्गमीटर राजस्व ग्राम ढाणी चौधरियोवाली तहसील खण्डेला का कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ "श्री जगन्नाथ सरोवर" योजना का ले–आउट प्लान अनुमोदन पर विचार/ निर्णयः–** उक्त समिति के सदस्य सचिव श्रीमान अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्रीमती सीता देवी पत्नी रामजीलाल मीणा निवासी मीणो का मोहल्ला वार्ड नं. 10 श्रीमाधोपुर एवं श्री

बाबूलाल मीणा पुत्र श्री सौभाग चन्द मीणा निवासी 98, मीणो का मोहल्ला वार्ड नं. 10 श्रीमाधोपुर खसरा संख्या 1461/2 0.6800 हैक्टर मे से 0.3295 हैक्टर एवं 1468 रकबा 1.7000 हैक्टर मे से 1.0125 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.3420 हैक्टर अर्थात 13420.00 वर्गमीटर राजस्व ग्राम ढाणी चौधरियोवाली तहसील खण्डेला में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 05.12.2022 को प्रस्तुत किया गया । जिस पर नियमानुसार 07 दिवस में आपत्ति आमंत्रण लोक सूचना 01 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 4556 दिनांक 05.12.2022 के द्वारा श्रीमान तहसीदार महोदय, श्रीमाधोपुर को आवेदित भूमि के संबंध में प्रारूप (6) में सहमति अथवा आक्षेप हेतु लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीमाधोपुर के पत्रांक 2361 दिनांक 09.12.2022 के द्वारा कृषि भूमि के अकृषि भूमि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने हेतु प्रारूप (6) में सहमति रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि किसी निर्बधित प्रवर्ग में नही है एवं किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश आवेदित भूमि पर नही है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि राजस्व ग्राम ढाणी चौधरियोवाली तहसील खण्डेला की भूमि खसरा नं. 1461 एवं 1468 कुल रकबा 1.3420 हैक्टर किस्म बारानी जो कि बाबूलाल पुत्र श्री शोभागचन्द एवं श्रीमती सीता देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रामजीलाल निवासी मीणो का मोहल्ला वार्ड नं. 10 श्रीमाधोपुर, सीकर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त आवेदित भूमि नगरीय क्षेत्र श्रीमाधोपुर के परिधीय नियंत्रण क्षेत्र में है। उक्त भूमि राजस्व ग्राम चौधरियोवाली ढाणी की आबादी से 500 मीटर की परिधी में स्थित है। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 4783–86 दिनांक 13.12.2022 के द्वारा प्रारूप–11 में उपरोक्त आवेदित भूमि के कृषि भूमि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु 90 (क) के आदेश जारी किये गये। उपरोक्त 90–(क) आदेश की पालना में श्रीमान तहसीलदार महोदय, द्वारा उपरोक्त आवेदित भूमि का नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में नगर पालिका के नाम दर्ज कर दिया गया। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 4787 दिनांक 13.12.2022 के द्वारा श्रीमान उप/जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर को उपरोक्त आवेदित भूमि के कृषि भूमि के गैर कृषिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन एवं तकनिकी राय हेतु लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर के पत्रांक टीपीएसके/ 1600/ 316/श्रीमाधोपुर/ 2021/1459 दिनांक 19.12.2022 द्वारा पत्र में वर्णित शर्तो के अध्याधीन कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ "श्री जगन्नाथ सरोवर" योजना के ले–आउट प्लान को स्थानीय स्तरीय ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष अनुमोदन किये जाने के संबंध में तकनिकी राय प्रदान की गई। जिसकी पालना में आवेदक द्वारा उपरोक्त पत्र में वर्णित समर्पित की जाने वाली भूमि के संबंध में निःशुल्क समर्पणनामा, योजना के आन्तरिक विकास होने तक 12.5 प्रतिशत पट्टे नगर पालिका में रहन रखे हेतु शपथ पत्र एवं उपरोक्त पत्र में वर्णित शर्तो की पालना हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

अतः श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर राजस्थान द्वारा दी गई तकनिकी राय एवं नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17 (1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 20.09.2021 के बिन्दू संख्या 2(i) में दिये गये आदेशो की पालना में स्थानीय एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा बाद विचार विमर्श आवेदक श्रीमती सीता देवी पत्नी रामजीलाल मीणा निवासी मीणो का मोहल्ला वार्ड नं. 10 श्रीमाधोपुर एवं श्री बाबूलाल मीणा पुत्र श्री सौभाग चन्द मीणा निवासी 98, मीणो का मोहल्ला वार्ड नं. 10 श्रीमाधोपुर खसरा संख्या 1461/2 0.6800 हैक्टर मे से 0.3295 हैक्टर एवं 1468 रकबा 1.7000 हैक्टर मे से 1.0125 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.3420 हैक्टर अर्थात 13420.00 वर्गमीटर राजस्व ग्राम ढाणी चौधरियोवाली तहसील खण्डेला में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ "श्री जगन्नाथ सरोवर" योजना के ले–आउट प्लान अनुमोदन किये जाने हेतु निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

6. **श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री बालूराम, श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी श्री प्रभुदयाल, श्री रमेश कुमार कुमावत पुत्र श्री प्रभुदयाल कुमावत एवं राजेन्द्र प्रसाद कुमावत पुत्र श्री बालूराम निवासी वार्ड नं. 10 खेडपाति बालाजी के पास श्रीमाधोपुर खसरा संख्या 1365 कुल खसरे 01 कुल रकबा 1.9500 हैक्टर मे से 1.7703 हैक्टर अर्थात 17703 वर्गमीटर राजस्व ग्राम ढाणी चौधरियोवाली तहसील खण्डेला का कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजनार्थ "बाल विहार" योजना का ले–आउट प्लान अनुमोदन पर विचार/निर्णय :–** उक्त समिति के सदस्य सचिव श्रीमान अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदक श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री बालूराम, श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी श्री प्रभुदयाल, श्री रमेश कुमार कुमावत पुत्र श्री प्रभुदयाल कुमावत एवं राजेन्द्र प्रसाद कुमावत पुत्र श्री बालूराम निवासी वार्ड नं. 10 खेडपाति बालाजी के पास श्रीमाधोपुर खसरा संख्या 1365 कुल खसरे 01 कुल रकबा 1.9500 हैक्टर मे से 1.7703 हैक्टर अर्थात 17703 वर्गमीटर राजस्व ग्राम ढाणी चौधरियोवाली तहसील खण्डेला में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 06.10.2022 को प्रस्तुत किया गया । जिस पर नियमानुसार 07 दिवस में आपत्ति आमंत्रण लोक सूचना 01 राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। जिस पर निर्धारित अवधि में / पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 4095 दिनांक 06.10.2022 के द्वारा श्रीमान तहसीदार महोदय, श्रीमाधोपुर को आवेदित भूमि के संबंध में प्रारूप (6) में सहमति अथवा आक्षेप हेतु लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीमाधोपुर के पत्रांक 2080 दिनांक 07.10.2022 के द्वारा कृषि भूमि के अकृषि भूमि प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने हेतु प्रारूप (6) में सहमति रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि किसी निर्बधित प्रवर्ग में नही है एवं किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश आवेदित भूमि पर नही है। इसके अतिरिक्त हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि राजस्व ग्राम ढाणी चौधरियोवाली तहसील खण्डेला के भूमि खसरा नं. 1365 रकबा 1.95 किस्म बारानी दज रिकार्ड है। उक्त भूमि नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पेराफेरी क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत ढाल्यावास के आबादी भूमि खसरा नं. 1377 से 400 मीटर दूरी पर

11/01/2023

स्थित है। उक्त भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की नही है। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 4288–91 दिनांक 18.10.2022 के द्वारा प्रारूप–11 में उपरोक्त आवेदित भूमि के कृषि भूमि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु 90 (क) के आदेश जारी किये गये। उपरोक्त 90–(क) आदेश की पालना में श्रीमान तहसीलदार महोदय, द्वारा उपरोक्त आवेदित भूमि का नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में नगर पालिका के नाम दर्ज कर दिया गया। जिसके उपरान्त नगर पालिका श्रीमाधोपुर के पत्रांक 4287 दिनांक 18.10.2022 के द्वारा श्रीमान उप/जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर को उपरोक्त आवेदित भूमि के कृषि भूमि के गैर कृषिक प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन एवं तकनिकी राय हेतु लिखा गया। जिसके संबंध में श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, सीकर के पत्रांक टीपीएसके/ 1600/ 316 / श्रीमाधोपुर/ 2022/1433 दिनांक 21.10.2022 द्वारा पत्र में वर्णित शर्तो के अध्याधीन कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ "बाल नगर" योजना के ले–आउट प्लान को स्थानीय स्तरीय ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष अनुमोदन किये जाने के संबंध में तकनिकी राय प्रदान की गई। जिसकी पालना में आवेदक द्वारा उपरोक्त पत्र में वर्णित समर्पित की जाने वाली भूमि के संबंध में निःशुल्क समर्पणनामा, योजना के आन्तरिक विकास होने तक 12.5 प्रतिशत पट्टे नगर पालिका में रहन रखे हेतु शपथ पत्र एवं उपरोक्त पत्र में वर्णित शर्तो की पालना हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

अतः श्रीमान जिला नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग सीकर राजस्थान द्वारा दी गई तकनिकी राय एवं नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.17 (1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 20.09.2021 के बिन्दू संख्या 2 (i) में दिये गये आदेशो की पालना में स्थानीय एम्पावर्ड समिति के उपस्थित सदस्यो द्वारा बाद विचार विमर्श आवेदक श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री बालूराम, श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी श्री प्रभुदयाल, श्री रमेश कुमार कुमावत पुत्र श्री प्रभुदयाल कुमावत एवं राजेन्द्र प्रसाद कुमावत पुत्र श्री बालूराम निवासी वार्ड नं. 10 खेडपाति बालाजी के पास श्रीमाधोपुर खसरा संख्या 1365 कुल खसरे 01 कुल रकबा 1.9500 हैक्टर मे से 1.7703 हैक्टर अर्थात 17703 वर्गमीटर राजस्व ग्राम ढाणी चौधरियोवाली तहसील खण्डेला में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ "बाल नगर" योजना के ले–आउट प्लान अनुमोदन किये जाने हेतु निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

7. **प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 की तैयारियो एवं प्रगति की समीक्षा पर विचार :–** उक्त समिति के सदस्य सचिव श्रीमान अधिशाषी अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के प्रचार–प्रसार हेतु शहर के प्रमुख स्थानो पर प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 से सम्बन्धित होर्डिग लगवाते हुए एवं वार्डवाईज टीम गठित कर घर–घर पम्पलेट बटवाये जा रहे है। शहर के मुख्य समाचार पत्रो के माध्यम से 02 अक्टुबर 2021 से प्रारम्भ होने वाले प्रशासन शहरो के संग अभियान के दौरान वार्डवाईज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूची का प्रकाशन करवाया गया है, ताकि आमजन को

वार्डवाईज आयोजित किये जाने वाले कैम्पो की सूचना से अवगत हो सके। वर्तमान में नगर पालिका श्रीमाधोपुर में विभिन्न प्रकार के पट्टो, नामान्तरण, निर्माण स्वीकृति, उप–विभाजन, पुर्नगठन, ले–आउट प्लान अनुमोदन एवं भू–उपयोग परिवर्तन आवेदन के लगभग 1350 पत्रावली प्राप्त हो चुकी है। जिन पर त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए पालिका द्वारा 940 पट्टे जारी किये जा चुके है तथा शेष प्रकरणो को निस्तारण किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ है।

अतः उक्त प्रकरण में बाद विचार विमर्श एम्पावर्ड कमेटी के उपस्थित सदस्यो द्वारा प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के दौरान आमजन को अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार के माध्यम से जागरूक कर अभियान को सफल बनाते हुए अधिक से अधिक लोगो से पट्टो के लिए आवेदन करवाकर लाभान्वित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

(हरिनारायण)
अध्यक्ष
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

(रजत जैन)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका श्रीमाधोपुर
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका श्रीमाधोपुर

(मो. अजहर जाटू)
उप/जिला नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग सीकर
(मो. अजहर जाटू)
उप/जिला नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग, सीकर

(निश्चल बनर्जी)
लेखा प्रभारी
नगर पालिका श्रीमाधोपुर

(लोकेश मिठारवाल)
कनिष्ठ अभियन्ता)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर
कनिष्ठ अभियन्ता
नगरपालिका, श्रीमाधोपुर

(रक्षपाल स्वामी)
विधि सलाहकार
नगर पालिका श्रीमाधोपुर